संख्या-05/2021/247/86-2021-290/2011

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म,

उ0प्र0 लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांकः 12 फरवरी, 2021

विषय-भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अन्तर्गत 22 खान अधिकारी के अस्थाई पदों का स्थाईकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित अस्थाई पदों को दिनांक 12.02.2021 से स्थाई पदों में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी किय गये आदेशों के अनुसार महगांई भत्ता एवं अन्य भत्ते, जो उन्हे अनुमन्य हो, भी देय होगे।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अस्थाई पदो के दिनांक 12.02. 2021 से स्थाई पदों में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप संलग्नक के कालम-6 के उल्लिखित शासनादेश संख्या-885/86-2019-290/2011 दिनांक 28.2.2020 को, जिसमें इन पदों को वर्ष 2019-20 में दिनांक 29.02.2020 तक अस्थाई रूप से चलते रहने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा कि उक्त पद की निरन्तरता केवल दिनांक 29.02.2020 तक के लिये ही दी गयी थी।

उपर्युक्त पद पर होने वाला व्यय आय-व्यय के अनुदान संख्या-4 के लेखा शीर्षक-2853 के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नाम डाला जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि इन पदों का स्थाईकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-797/ दस-87-24(12)06, दिनांक 25 मई, 1987 में निहित सभी शर्तों की पूर्ति के बाद किया जा रहा है।

भवदीया,

(डा0 रोशन जैकब)

सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः 247(1)/86-2021, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग।

3-वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1

4-गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(डा0 रोशन जैकब)

सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-247/86-21 दिनांक 12.2.21 द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म में दिनांक 12.02.2021 से स्थाई किये गये पदों का विवरण:-

क्र० स०	पदनाम	स्थाई किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें पद मूल रूप में सृजित हुआ था	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें अन्तिम बार पद के स्थाईकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सातत्य स्वीकृत किया गया था।	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	खान अधिकारी	22	बेतनबैण्ड 15600-39100 ग्रेड पे रू0 5400/-	सं-482/86-2014-290/2011 दिनांक 11.4.2014	शासकीय पत्र संख्या -885/86-2019-290/2011 दिनांक 28.2.2020	प्रदेश के 22 जनपदों यथा आगरा, मथुरा, अलीगढ, झांसी, इलाहाबाद सम्प्रति प्रयागराज, जालौन, ललितपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, बरेली, गौतमबृद्वनगर, सहारनपुर, मुजप्फरनगर, लखनऊ, मिर्जापुर, महोबा, बारांबकी, गोरखपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबादा, गाजियाबाद, बागपत, बुलन्दशहर, उन्नाव, कानपुर नगर, सोनभद्र वाराणसी के लिए खान अधिकारी के 22 अस्थायी पदो का सृजन शासनादेश दिनांक 11.04.2014 द्वारा किया गया है, खान अधिकारी के पद धारकों द्वारा उक्त जनपदों में खनिज प्रशासन सम्बन्धी दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित जनपदों के राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्वि हुई है तथा खनिजो के अवैध खनन/ अवैध परिवहन पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जा रहा है। उपरोक्त के दृष्टिगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

						राजस्व एवं कार्यहित में खान अधिकारी के पदों की भविष्य में नितान्त आवश्यकता है। उक्त के आलोक में खान अधिकारी के 22 अस्थायी पदों का स्थायीकरण प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश शासन वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-797/दस-87-24(12)-86 दिनांक 25 मई 1987 में निहित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरणः- (1) प्रश्नगत पद किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिये या किसी नियत अवधि के लिये सृजित नही किये गये हैं। (2) खान अधिकारी के पद जिस कार्य के लिए सृजित किये गये हैं वह स्थाई प्रकृति का है तथा उसके भविष्य मे निरन्तर चलते रहने की सम्भावना है। (3) स्थाईकरण हेतु प्रस्तावित पद वित्तीय वर्ष 2014-15 में वित्त विभाग की सहमति से सृजित किये गये है और वर्षानुवर्ष उसकी निरन्तरता की शासकीय स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत की गयी है। (4) प्रश्नगत पद 06 माह अथवा उससे अधिक अवधि से रिक्त नहीं है। (5) पद के पदनाम एवं उसके वेतनमान के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि उसका पदनाम और वेतनमान सही है तथा वित्त विभाग की सहमति से निर्धारित किये गये है। (6) स्थाई किये जाने वाले पदों की भविष्य में फालतू होने की कोई सम्भावना नहीं है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

						(7) स्थाई किया जाने वाले पद किसी पद को आस्थगित रखकर सृजित नही किये गये हैं।

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।